न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 265 / 2023 **GCMS 2023/436**

वादी

1. जहीर अब्बास खान पुत्र शाहिद खान जाति कायमखानी मुस्लिम उम्र 42 वर्ष निवासी खान मोहल्ला, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे जाति ब्राहम्ण निवासी सुरेन्द्र नगर, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)।

दावा :– अधिकारो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 18/10/2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक / भू.अ. / 2023 / 1614 दिनॉक 12.10.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 12.10.2023 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 21.09.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। जो निम्न प्रकार से है :–

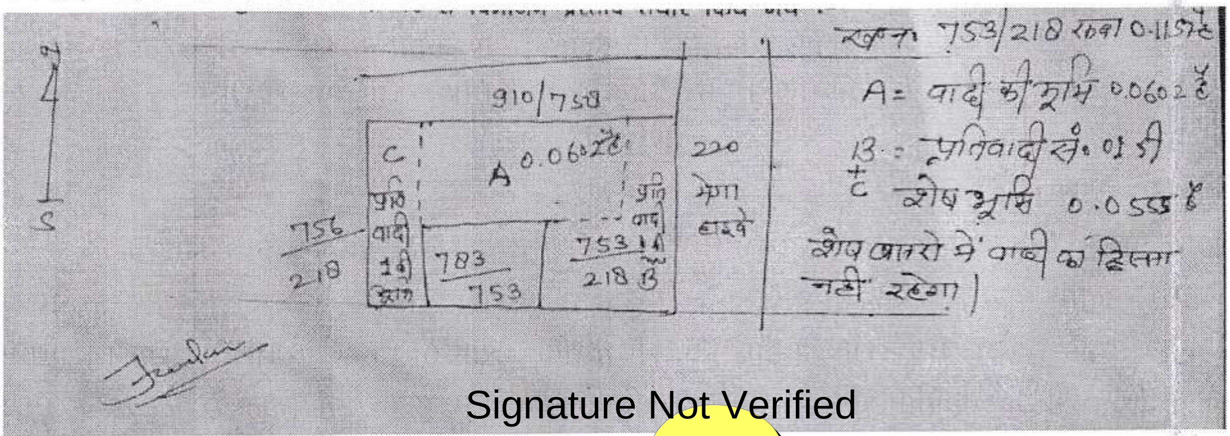

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा ... कर कथन किया है ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद ... स्थित कृषि

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि खसरा संख्या 753/218 रकबा 0.1157 हैक्टर बारानी प्रथम मौके पर बहमराह पटवारी भू.अभिलेख निरीक्षक के पहुंचा तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। नजरी नक्शा अनुसार मौके पर वादी जहीर अब्बास खान **A** स्थान पर 0.0602 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 राकेश दवे **A+B** स्थान पर रकबा 0.0555 हैक्टर पर का कब्जा काश्त है तथा तदनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी 1 जोत विभाजन करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित पक्षकार/खातेदार का उपरोक्त नजरी नक्शानुसार कब्जा काश्त है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 12.10.2023 का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 753/218 रकबा 0.1157 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार वादी जहीर अब्बास खान को **A** स्थान पर 0.0602 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 राकेश दवे को **A+B** स्थान पर रकबा 0.0555 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 12.10.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/10/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन)

बइजलास : मनोज (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 265/2023 **GCMS 2023/436**

वादी

1. जहीर अब्बास खान पुत्र शाहिद खान जाति कायमखानी मुस्लिम उम्र 42 वर्ष निवासी खान मोहल्ला, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे जाति ब्राहम्ण निवासी सुरेन्द्र नगर, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)।

दावा :– अधिकारो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 753/218 रकबा 0.1157 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार वादी जहीर अब्बास खान को A स्थान पर 0.0602 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 1 राकेश दवे को A+B स्थान पर रकबा 0.0555 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 12.10.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...18...माह ...10... सन् ...2023... को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे जारी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 229 दिनॉकः– 18/10/2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 265/2023 **GCMS 2023/436** जहीर अब्बास बनाम राकेश दवे वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के र राजस्व प्रकरण वाद सं. 265/2023 **GCMS 2023/436** जहीर अब्बास बनाम राकेश दवे वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कोर्ट
13/10/2023

राजस्थान सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2023 / 1614

दिनांक – 12-10-2023

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 265 / 2023 जहीर अब्बास बनाम राकेश दवे वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट / 2023 / 197 दिनांक 21.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 265 / 2023 ज़हीर अब्बास बनाम राकेश दवे वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष, भू.अ.नि. मण्डावरा व पटवारी हल्का मण्डावरा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में,

UR
(3)
1/11/23

श्रीमान तहसीलदार साहब
कुचामन सिटी

विषयः- श्रीमान जी के आदेश क्रमांक/भू. अ./PD/20 दिनांक 3.10.23 की पालना में PD रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

प्रसंगः- माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के राजस्व प्रकरण वाद सं. 265/2023 GCMS 2023/436 जहीर अहमद बनाम राकेश दवे वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत्।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान जी के आदेश की पालना में प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:-
(1) बंटवारा - स्कीम

Kumawat
1/11/2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ....(नाम) तहसीलदार कुचामन, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन के आदेश कमांक /को.टी./2023/197 दिनांक 21.09.23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक .... समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 753/218 वाके ग्राम म0ऽ1921 पटवार हल्का म0ऽ1921 पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 265/2023 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....—.... दिनांक ....—.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	जहीर अब्बास	शाहीद खान		मुसलमान	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

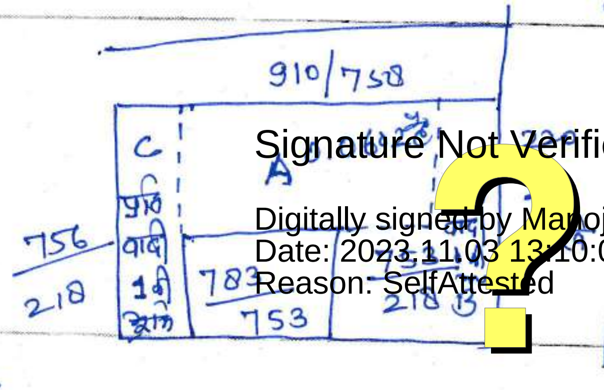

खसरा नं. 753/218 रकबा 0.1157 है
A= वादी की भूमि 0.0602 है
B = प्रतिवादी सं. 01 की
+ C शेष भूमि 0.0555 है
(शेष खातेदारों में वादी का हिस्सा नहीं रहेगा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	जहीर अब्बास	शाहीद खान	मुसलमान	[signature]	

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
	—				

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1.	रामदेव गुर्जर	धीमाराम		गुर्जर	मण्डावरा	रामदेव
2.	जगदीश प्रधान	गोविन्दसिंह		गुर्जर	मण्डावरा	[signature]

इस प्रकार आज दिनांक 10.10.23 को यह ... तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. मण्डावरा	वृत मण्डावरा	....	तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी